

No. EDN-U (Misc)/- 3945-46
Office of the,
Deputy Director of Higher Education
Una District Una (HP)

Email.ddheuna@rediffmail.com

22 Mar, 2021

To

All the Principal/Headmasters
GSSS/HS in Una Distt.

Subject:- Regarding Niranjana Kanwar, Member, HPCPCR vide letter No. HPSCPCR-A(4)-27/2020, on 17/12/2020, regarding betterment of Children's overall development and effect due to COVID-19.

Memo,

With reference to the Director of Higher Education Himachal Pradesh Shimla letter No. EDN-H (21) F (10) 9/2021-Misc-L dated 23 Feb, 2021 on the subject cited above.

The copy of Regarding Niranjana Kanwar, Member, HPCPCR vide letter No. HPSCPCR-A(4)-27/2020, on 17/12/2020, regarding betterment of Children's overall development and effect due to COVID-19 is enclosed herewith for your further necessary action.

Encls: As above

Sanku WB
Deputy Director of Higher Education
Una District Una (HP)

Endst No. Even

dated

Copy to:- 1 The Director of Higher Education HP Shimla for information please.

sd/-
Deputy Director of Higher Education
Una District Una (HP)



No. EDN-H (21) F(10) 09/2021-Misc-L
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh
Tel:01772653120Extn.234 e-mailgenbr@rediffmail.com Fax: 2812882

Dated: Shimla-171001 the February, 2021

To

23 FEB 2021


All the deputy Directors of Higher Education
in Himachal Pradesh.

Subject: -

Regarding Niranjana Kanwar, Member, HPCPCR vide letter No. HPSCPCR-A(4)-27/2020, on 17/12/2020, regarding betterment of Children's overall development and effect due to COVID-19

Please find enclosed herewith a copy of letter no. PCR-A(4)-2/2018-65-78 dated: 18/01/2021 received from the Director, WCD cum Member Secretary H.P. State Commission for Protection of Child Rights on the subject cited above.


In this connection, you are hereby directed to take further necessary action in the matter accordingly and send the compliance report to this Directorate positively.


Addl. Director of Higher Education (C)
Himachal Pradesh, Shimla-1

Shimla-171001 the February, 2021

Endst. No. Even dated: Shimla-171001 the February, 2021
Copy for information and necessary action to:-

1. The Director, Women & Child Development cum Member Secretary H.P. State Commission for Protection of Child Rights w.r.t. letter under reference.
2. Guard file.


Addl. Director of Higher Education (C)
Himachal Pradesh, Shimla-1

3943-44

Gen
28.01.21



XU

सी.पी.सी.आर.-ए(4)-2/2018-65-78
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
शर्मा भवन, बिलो बी.सी.एस., फेज-3,
न्यू शिमला-171009

सेवा में,

1. निदेशक,
प्रारंभिक/उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,
लालपानी, जिला शिमला-171001
2. अध्यक्ष,
बाल कल्याण समिति.....

दिनांक: शिमला-171009,

18.1.2021

विषय-

Niranjana Kanwar, Member, HPCPCR vide letter No. HPSCPCR-A(4)-27/2020, on 17-12-2020, regarding betterment of Children's overall development and effect due to COVID-19.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको Smt. Niranjana Kanwar, Member, HPCPCR से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त मामला आयोग की बैठक में दिनांक 21.12.2020 को रखा गया जिसका अवलोकन करने पर आयोग को महसूस हुआ कि कोरोना संकट एवं लॉकडाउन के कारण बच्चों में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे यदि गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया तो बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। Child lines के पास कोरोना काल के दौरान बच्चों से बहुत ज्यादा सख्ख्या में फोन calls आए हैं जिनकी गिनती हजारों में है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वे इस दौरान परिवार में आपसी झगड़ों, माता-पिता की रोक-टोक से परेशान हैं, इससे उनमें चिड़चिड़ापन, आक्रामकता व तनाव पैदा हो रहा है, इस कारण कई बच्चे तो अपने माता-पिता के साथ रहना भी नहीं चाहते। बच्चे केवल घर के भीतर ही सिमटकर रह गए हैं क्योंकि ऐसे समय में तो बाहर भी नहीं जाया जा सकता। पार्क आदि बंद होने से उनके घूमने-फिरने व खेलने पर रोक सी लग गई है जिससे उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे जरूरत से ज्यादा समय टीवी और मोबाइल गेम्स खेलने में बिता रहे हैं। बच्चों की दिनचर्या में भी काफी बदलाव आया है। वे अचानक उत्तेजित और बेचैन हो रहे हैं। अभिभावकों के लिए हर समय बच्चों पर नजर रखना मुश्किल हो गया है। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखकर उनका ध्यान लॉकडाउन से हटाने की कोशिश भी की, किन्तु इससे बच्चों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

इस मामले में आयोग ने यह व्यक्त किया कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण बच्चे अपने घरों में ही कैद हैं। उन्हें खेलने-कूदने एवं समाज में अन्य लोगों से मिलजुलकर रहने की आदत खत्म हो गई है जिससे उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। अतः हमें बच्चों के साथ बात करके, उनकी बातें सुनकर व उनको नया वातावरण देकर उनकी इस समस्या का हल किया जा सकता है। इससे उनकी मनोस्थिति शांत व प्रसन्नचित्त रहेगी और उनका मानसिक व बौद्धिक विकास ठीक तरह से हो पाएगा। हमें उनसे मिलकर रूटीन बनाना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, उनके साथ हर विषय पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए, हमेशा उनके स्कूल के संपर्क में रहना चाहिए और Online Platform पर बच्चों की सुरक्षा को महत्व देना चाहिए। अतः आयोग ने निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग एवं सभी बाल कल्याण समितियों को 9 से 15 वर्ष के बच्चों की online counselling करवाने का प्रावधान किया जाए तथा अभिभावकों को भी बच्चों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए जागरूक किया जाए ताकि बच्चे तनावमुक्त रहें। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग द्वारा मामला सरकार के साथ भी उठाया जाए कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में counsellor की नियुक्ति की जाए जो समय-समय पर बच्चों की counselling कराए जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास में मदद मिल सके।

भवदीय,

निदेशक (डिप्यूसी.डी.) एवं सदस्य सचिव,
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
हिमाचल प्रदेश


18



हि. प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
H.P. STATE COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

शर्मा भवन, बी.सी.एस., फेज-III, न्यू शिमला -171009
SHARMA BHAWAN, BCS, PHASE-III, NEW SHIMLA-171009

नरंजना कुमारी
सदस्य



Ref. No. HPSCPCR/A(4)27/2020/2

Note (नोट)

Dated 17-12-2020

कोरोना वायरस (Covid-19) दुनिया भर के लोग अपने भविष्य को लेकर तनाव में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार Childline India के पास 9-15 वर्ष के बच्चों की call लगातार आई है। जिस में बच्चे घिसीचड़ापन, आक्रामकता व अपने परिवार से परेशान हैं। बच्चे अपने माता पिता के आपसी झगड़े व शोक टोक से परेशान हैं। Childline India के अनुसार Lockdown लाकडाउन के सिर्फ शुरुवाती 11 दिनों के बीच 92000 से अधिक कॉल आई हैं कई बच्चों की शिकायत है कि वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। भारत में Lockdown के थक नहाने ज्यादा का समय गुजर चुका है। और स्कूल पार्क आदि बन्द हैं जिस से इनके मनोस्वस्थता पर बुरा असर पड़ रहा है। के साथ ही पर शोक सी लग गई है। इस से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में हमें बच्चों की मनश्चिति को समझने की विधेय आवश्यकता है।

कोरोना संकट और लाकडाउन की स्थिति बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए धातक है। यदि बच्चों मनोश्चिति को गंभीरता से नहीं लिया गया तो समस्या और बढ़ सकती है। बच्चों के साथ बात करके, इनकी बातें सुनकर, इनको नया वातावरण देकर इस समस्या को हल किया जा सकता है जिस से बच्चों की मनोश्चिति शीघ्र प्रसन्नचितल रहेगी और इन का मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। और बेहतर मानसिकता का विकास हो पायेगा।

बच्चों (children) की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वयं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्न नीचे बच्चों को प्रयोग में लाने से बच्चों की मनोश्चिति को समझने में मदद मिलेगी।
1 बच्चों के साथ मिलकर कठिन बनाये। 2. अपना समय नींद। 3. बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करे। 4 online platform पर बच्चों की सुरक्षा। 5. अपने बच्चों के स्कूल के सम्पर्क में रहे।

मैं आयोग के समक्ष यह प्रस्ताव रखती हूँ कि Director Education निर्देशक, निदेशिका शिक्षा विभाग को स्वयं C.W.C को पत्र लिखा जाये कि 9-15 वर्ष के बच्चों की online Counselling कराई जाये और अभिभावकों को बच्चों के साथ व्यवहार के लिए दिशानिर्देश दे, ताकि बच्चे तनाव मुक्त रहें। आयोग से यह भी निवेदन है कि सरकार को यह सुझाव दे कि प्रत्येक स्कूल में Counsellor की नियुक्ति जाये जो कि समय-समय पर बच्चों की counselling कर सके जिससे बच्चों के भौतिक, मानसिक व शारीरिक विकास में मदद मिल सके।

यह प्रस्ताव आयोग के समक्ष आगामी कार्यवही बैठक में निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत है।

अस्थायी स्वयं समस्त सदस्य गण

N. K. Kaur
Member (Psychology)
(HPSCPCR)

17